न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर–खीरी।

परिवाद संख्या–890 / 19

अवधराम बनाम प्रवीण कुमार यादव

06–9–2022

पत्रावली पेश हुई, पुकार पर परिवादी अनुपस्थित, कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र भी नहीं दिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में किसी साक्षी को परीक्षित कर सशपथ बयान अंकित कराया गया है। परिवादी विगत कई वर्षो से उपस्थित नहीं आ रहा है। ऐसा विदित होता है कि परिवादी को प्रस्तुत वाद चलाने में कोई रूचि शेष नहीं है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत परिवाद परिवादी की अनुपस्थित में लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः पत्रावली पर बल देने हेतु कोई उपस्थित न होने के कारण परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

पत्रावली पर बल देने हेतु कोई उपस्थित न होने के कारण परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर की जाय।

(चिन्ता राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर–खीरी।